सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 157 दर्ज तिथिः– 06.05.2024

1. निर्मला पुत्री घेवरलाल
   नाबालिक वलिये संरक्षक माता चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल जाति सोनी निवासी रामजी का गोल फांटा
2. चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल
   जाति सोनी निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

............................वादीगण

बनाम

1. घेवरलाल पुत्र तुलसाराम
2. इमरती देवी पत्नी तुलसाराम
3. पन्नालाल पुत्र तुलसाराम
4. चिमनाराम पुत्र तुलसाराम
5. गणेशकुमार पुत्र तुलसाराम
   जातियान सोनी निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी
6. अम्मेदाराम पुत्र चौथाराम जाति सोनी
7. खेताराम पुत्र सिमरथाराम
8. रायचन्दराम पुत्र सिमरथाराम
9. रावताराम पुत्र सिमरथाराम
   जातियान जाट निवासी रामजी का गोल फांटा, तहसील गुड़ामालानी
10. धमूराम पुत्र बस्ताराम जाति दर्जी निवासी आईजीनगर तहसील गुड़ामालानी
11. धर्माराम पुत्र भेराराम जाति विश्नोई निवासी झाकरड़ा तहसील धोरीमना
12. नेनाराम पुत्र भीयाराम
13. मलाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
14. हमीराराम पुत्र उर्जाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

.......... असल प्रतिवादीगण

15. उपपंजीयक तहसीलदार गुड़ामालानी।

...................तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्मला बनाम घेवरलाल
2024 / 157
निर्णय दिनांकः 30.03.2026

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

**—:निर्णयः—**

दिनांक 30.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने निवेदन किया गया कि

1.1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एक ही परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। जो पुर्व पुरूष स्व0 तुलछाराम पुत्र केशाराम के वारिस है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है—

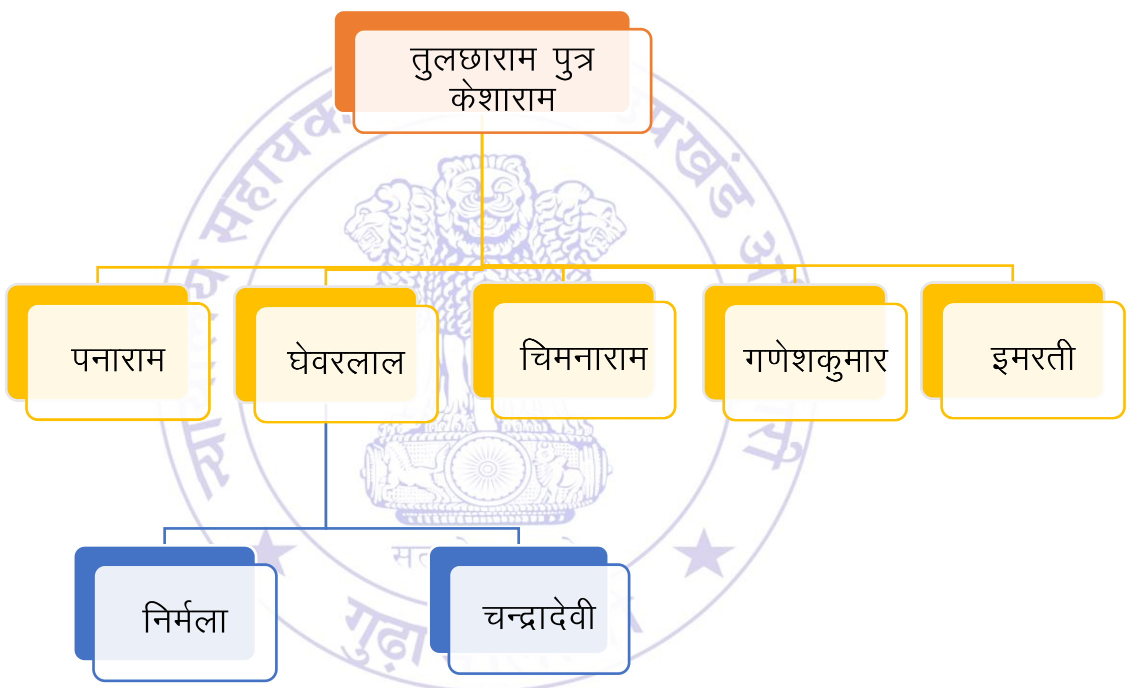


1.2 कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त पैतृक कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 890 / 17 / 0.1376 है0 मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का पीपराली व खसरा संख्या 227 / 6 / 0.3237 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी में वादी संख्या 01 के दादा तुलसाराम के नाम से खातेदारी अवस्थित है।

1.3 कि वादीगण के दादा तुलछाराम का दिनांक 03.08.2022 को स्वर्गवास हो गया था। जिसके फौतगी का नामान्तरण अभी खोला जाना शेष है। वादीगण के दादा तुलछाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी पुत्रियों का विवाह के समय पैतृक आराजी में हक निश्चित कर दिया था। जब तुलछाराम के स्वर्गवास होने पर बहिने अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादन करने आई। लेकिन वादी संख्या 01 के पिता व वादी संख्या 02 के पति प्रतिवादी संख्या 01 के अनपढ़ एवं मानसिक रूप से बीमार होने का फायदा उठाते हुए मुतनाजा आराजी का हकतर्कनामा प्रतिवादी संख्या 02 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में दिनांक 28.03.2024 को निष्पादित करवा दिया। जिसका वादीगण को पता नही रहा।

1.4 कि उक्त मुतनाजा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–6 के अनुसार जब कोई हिन्दु पुरूष अपने पिता, पितामह से उत्तराधिकार में कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो उस पैतृक संपत्ति में पिता के समान पुत्र–पुत्री/पौत्र/पौत्री का हिस्सा निहित हो जाता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 का जो हिस्सा था। उसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का बहिस्सा बराबर है क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1955 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है एवं वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है।

1.5 कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 890/17/0.1376 है0 मौजा रामजी का गोल में वादीगण के दादा का हिस्सा 175/2025 में प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण का बराबर–बराबर 1/15–1/15 एवं खसरा संख्या 227/6/0.3237 है0 मौजा पीपराली में वादीगण के दादा का हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 01 व वादीगण का बराबर–बराबर 1/15–1/15 का आया हुआ है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की जीवित रहते उनका हिस्सा दिये बिना संपूर्ण अराजी का या आराजी के कुछ भाग का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादा के हिस्से में से 1/15–1/15 खातेदारी घोषणा किये जाने का वाद पेश किया है।

1.6 कि प्रतिवादी संख्या 02 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के प्रति उदासीन होने एवं अपने नाम की आराजी का बेजा फायदा उठाकर वादीगण को घर से बाहर निकालने पर उतारू है।

1.7 कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी घोषणा पश्चात शेष प्रतिवादीगण, वादीगण के हक हिस्से की आराजी में हस्तक्षेप व किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

| प्रदर्श | दस्तावेज | संवत/विवरण |
|---|---|---|
| प्रदर्श–01 | जमाबंदी | खसरा संख्या 227/6 मौजा पीपराली सवंत 2072–2075 |
| प्रदर्श–02 | नक्शा | खसरा संख्या 227/6 मौजा पीपराली |
| प्रदर्श–03 | जमाबंदी | खसरा संख्या 890/17 मौजा रामजी का गोल फांटा सवंत 2071–2074 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

| | | |
|---|---|---|
| प्रदर्श–04 | नक्शा | खसरा संख्या 890 / 17 मौजा रामजी का गोल फांटा |
| प्रदर्श–05ए | आधार कार्ड | घेवरलाल पुत्र तुलसाराम |
| प्रदर्श–06ए | आधार कार्ड | निर्मला पुत्र घेवरलाल |
| प्रदर्श–07ए | आधार कार्ड | चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल |
| प्रदर्श–08ए | हॉस्पिटल पर्ची दिनांक 01.05.2024 | मथुरदास माथुर चिकित्सालय जोधपुर |
| प्रदर्श–09ए | हॉस्पिटल पर्ची दिनांक 12.03.2024 | मथुरदास माथुर चिकित्सालय जोधपुर |
| प्रदर्श–10 | हकतर्कनामा रसीद | रसीद संख्या 202402092001150 उप पंजीयक गुड़ामालानी |
| प्रदर्श–10 | हकतर्कनामा की प्रमाणित प्रति | दिनांक 28.03.2024 उपपंजीयक गुड़ामालानी |
| प्रदर्श–03 | खतौनी बन्दोबस्त | ग्राम निम्बलकोट संवत 2012–2031 |
| प्रदर्श–04ए | आधार कार्ड | तरूण कुमार |
| प्रदर्श–05ए | आधार कार्ड | कानु कुमारी पत्नी पनाराम |
| प्रदर्श–06ए | मृत्यु प्रमाण पत्र | पनाराम पुत्र भैराराम |
| प्रदर्श–07ए | एफआईआर प्रति | एफआईआर संख्या 0112 पुलिस थाना सिणधरी |

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

| | नाम | जाति | निवासी |
|---|---|---|---|
| पी0डब्ल्यू–01 | चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल | सोनी | रामजी का गोल फांटा |

5. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–01 चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल द्वारा शपथपूर्वक अभिवचन किये–

5.1. कि मैंने मेरे व मेरी नाबालिंग पुत्री निर्मला के हितों को ध्यान में रखते हुए संरक्षक के रूप में एक वाद पेश किया जिसमें मेरी पुत्री के बाप दादाओ के पुश्तैनी जमीन गांव रामजी का गोल फांटा में खेत खसरा संख्या 890 / 17 क्षेत्रफल 0.1376 है0 व मौजा पीपराली में खेत खसरा संख्या 227 / 6 क्षेत्रफल 0.3237 है0 की जमीन वादी संख्या 1 के दादा व मेरे ससुर को विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर हम वादीगण की ढाणिया बनी हुई है। वादिनी संख्या 1 के दादा तुलसाराम का देहांत 03.08.2022 को हो चुका है। तुलसाराम ने अपनी पुश्तैनी जमीन में पुत्रियों को हक के रूप में अचल संपति दी गई जिसे तुलसाराम की पुत्रियां हमेशा के लिए ससुराल में जाकर निवासरत हो गई।

5.2. हाल ही में जब तुलसाराम का देहांत हुआ तब नामान्तरण वास्ते दस्तावेज निष्पादन करने आई तहसील कार्यालय में चलकर हकतर्कनामा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में लिखवाया तब प्रतिवादी संख्या 1 अनपढ़ मानसिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

रूप से बीमार होने का फायदा लेते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की जमीन प्रतिवादी संख्या 2 के नाम हकतर्कनामा निष्पादन करवाया जिसकी जानकारी न तो प्रतिवादी संख्या 1 को होने दी और न तो हम वादीगण को हुई। इस प्रकार रामजी का गोल फांटा के खेत खसरा संख्या 890 ⁄ 17 में हम वादीगण का दादा के नाम दर्ज हिस्सा 175 ⁄ 2025 हिस्सा में 1 ⁄ 15–1 ⁄ 15 हिस्सा वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ⁄ 15 हिस्सा है व गांव पीपराली के खेत खसरा 227 ⁄ 6 क्षेत्रफल 0.3237 है0 में भी वादी संख्या 1 ⁄ 15 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1 ⁄ 15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1 ⁄ 15 हिस्सा पैतृक हिस्सा घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्सा से अधिक किया गया हस्तांतरण प्रांरभ से ही वादीगण के लिए शुन्य होने से निष्प्राभावी घोषित किया जावे।

5.3. इस संबंध में पैरा संख्या 03 के अनुसार प्रदर्श प्रदर्शित करवाए गए।

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–6 के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष निवेदित किये गये–

1. *कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण के दादा के हिस्से में बहिस्सा बराबर 1 ⁄ 15–1 ⁄ 15 खातेदारी घोषित किया जावे।*
2. *प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा हिस्से से अधिक किये गये हकतर्क हस्तांतरण को वादीगण के हिस्से तक शुन्य घोषित किया जावे।*
3. *कि बाद खातेदारी घोषणा वादीगण के हक हिस्से में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।*

7. प्रकरण में सर्वप्रथम अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अनुतोष संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 निम्न प्रकार हैं:–

   1. *वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण के दादा के हिस्से में बहिस्सा बराबर 1 ⁄ 15–1 ⁄ 15 खातेदारी घोषित किया जावे।*

8. प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 वादीगण की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में वादीगण के पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पैतृक आराजी में से अपना हिस्सा अपनी माता प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 28.03.2024 को निष्पादित करवाया गया है।

9. प्रकरण में सर्वप्रथम अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अनुतोष संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 02 निम्न प्रकार हैं:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

2. *प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा हिस्से से अधिक किये गये हकतर्क हस्तांतरण को वादीगण के हिस्से तक शुन्य घोषित किया जावे।*

10. प्रकरण में अनुतोष संख्या 02 हकत्याग दिनांक 28.03.2024 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए मुतनाजा आराजी पर वादीगण के पिता व पति घेवरलाल द्वारा किया गया हकत्याग वादीगण के हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने से संबंधित है।

11. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

**OF THE BURDEN OF PROOF**

**104. Burden of proof.**—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

**105. On whom burden of proof lies.**—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

**106. Burden of proof as to particular fact.**—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

**107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible**.— The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

12. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413 / 2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> "Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
>
> When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> "29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:
>
> burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

13. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता / प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

14. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

15. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार से संबधित है। वादीगण एक ही पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 के वारिस है। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित होते है। साथ ही मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। उक्त पैतृक आराजी का अभी तक वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी सहदायिकी व पैतृक संपति है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी सहदायक के रूप में सहखातेदार की हैसियत से संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है।

16. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में वादी के पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी 03 से 05 आपस में सगे भाई होकर एक ही पिता तुलसाराम के वारिस है। तुलसाराम की मृत्यु होने के पश्चात विरासत में मुतनाजा संपति वादीगण के पिता व पति प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02–05 का बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में अपना संपूर्ण हिस्सा हकत्याग करते हुए निष्पादित करवाया गया। प्रकरण में मुतनाजा आराजी के खातेदार घेवरलाल पुत्र तुलसाराम की संपति को लेकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवाद है। इससे व्यथित होकर वादीगण द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

17. इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 घेवरलाल द्वारा किए गए हकत्याग दिनांक 28.03.2024 को लेकर विवाद है। इस संबंध में वादी का अभिकथन है कि हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सहदायक/सहखातेदार हकत्याग के माध्यम से अपना हिस्सा सभी खातेदारों के पक्ष में त्याग कर सकता है और किसी एक विशिष्ट सहदायक/सहखातेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं कर सकता है। इस आधार पर घेवरलाल पुत्र तुलसाराम द्वारा अपना हकत्याग प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में त्याग किया जाना विधिसंगत नहीं था। इस कारण घेवरलाल पुत्र तुलसाराम द्वारा अपना हकत्याग केवल प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में त्याग किया जाना विधिसंगत नहीं होने के कारण हकत्याग दिनांक 28.03.2024 आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है।

18. इस प्रकार प्रकरण में घेवरलाल द्वारा किए गए हकत्याग दिनांक 28.03.2024 को लेकर विवाद है। प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सहदायक संपति में सहदायक के द्वारा हकत्याग को लेकर विधि की स्थिति को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायिकी संपति में सहदायको के द्वारा हकत्याग की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2567/2017 बउनवान ***M.R.Vinoda vs M.S.Susheelamma*** में दिनांक 13.12.2021 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के हकतर्क की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

संकल्पना / अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

*18. The second question for consideration is whether as a Karta or the head of the branch, M.R. Rajashekar, i.e., Defendant No. 4, could have validly executed the relinquishment deed, marked Exhibit P-2, on behalf of his branch? The answer to this issue is well settled, and for that reference is to be made to Thamma Venkata Subbamma (Dead) By LR v. Thamma Rattamma and Others,11 which decision refers to the legal position in the Hindu law in great depth and detail.*

*After adverting to Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage, Eleventh Edition, Article 38212 and Mulla's Hindu Law, Fifteenth Edition, Article 258,13 it has been held thus:*

> *"17. It is, however, a settled law that a coparcener can make a gift of his undivided interest in the coparcenary property to another coparcener or to a stranger with the prior consent of all other coparceners. Such a gift would be quite legal and valid."*

*This judgment draws a distinction between gifts and relinquishment by a coparcener of his share; and the head of the branch or Karta as the representative or eldest member of the branch. Former is valid and legal, provided the relinquishment is in favour of all other coparceners. The gift or relinquishment would also be valid if it is with the prior consent of another coparcener. Equally, a coparcener may make a gift of his undivided interest in the coparcenary property to another coparcenary with the prior consent of other coparceners.*

*12 Relevant part of the Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage, Eleventh Edition, Article 382 reads:*

> *"It is now equally well settled in all the Provinces that a gift or devise by a coparcener in a Mitakshara family of his undivided interest is wholly invalid.... A coparcener cannot make a gift of his undivided interest in the family property, movable or immovable, either to a stranger or to a relative except for purposes warranted by special texts."*

*13 Relevant part of the Mulla's Hindu Law, Fifteenth Edition, Article 258 reads as:*

> *"Gift of undivided interest.—(1) According to the Mitakshara law as applied in all the States, no coparcener can dispose of his undivided interest in coparcenary property by gift. Such transaction being void altogether there is no estoppel or other kind of personal bar which precludes the donor from asserting his right to recover the transferred property. He may, however, make a gift of his interest with the consent of the other coparceners."*

*19. <u>Mulla's Hindu Law, 22nd Edition vide Article 262, states that a coparcener may renounce his interest in favour of the other</u>*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

*coparceners as a body, but not in favour of one or more of them. When he renounces in favour of one or more of them, the renunciation enures for the benefit of all other coparceners and not for the sole benefit of the coparcener or coparceners in whose favour the renunciation is made. A similar exposition vide Article 407 in Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage, 17th dition, states that a gift by a coparcener of his entire undivided interest in favour of the other coparcener or coparceners is valid whether it is regarded as one made with the consent of the other or others or as a renunciation of his interest in favour of all. Referring to the judgment in Thamma Venkata Subbamma (supra), Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage observes that renunciation in the form of ostensible gift may have the effect of relinquishment and if it enures for the benefit of all the coparceners, such gift would be construed as valid. In addition, Mulla's Hindu Law, 22nd Edition recognises that a father or other managing member of the ancestral immovable property can make gifts within reasonable limits for "pious purposes".*

19. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के द्वारा सहदायिकी संपति में किये गए हकत्याग द्वारा अंतरण की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता/सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के किये गए हकत्याग से सहदायिकी के अन्य सहदायक के हिस्से में वृद्धि होती है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता/सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के किसी एक सहदायक के पक्ष में किये गए हकत्याग को सहदायिकी के समस्त सहदायकों के पक्ष में किया गया हकत्याग माना जाता है।*

20. उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट है कि हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के किसी एक सहदायक के पक्ष में किये गए हकत्याग को सहदायिकी के समस्त सहदायकों के पक्ष में किया गया हकत्याग माना जाता है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी सहदायिकी संपति है। उक्त सहदायिकी संपति घेवरलाल को विरासत से प्राप्त हुई। इस प्रकार घेवरलाल को उक्त सहदायिकी के सभी अन्य सहखातेदारों/सहदायिकों के पक्ष में ही हक त्याग करने हेतु अधिकार निहित है। इस प्रकार घेवरलाल द्वारा किसी एक विशेष सहखातेदार/सहदायिक के पक्ष में ही हक त्याग करने का विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार घेवरलाल द्वारा अपनी माता इमरती के पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि द्वारा अनुमत नहीं है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि सहदायिकी संपत्ति में पति के जीवित रहते हुए पत्नी अपना हिस्सा की घोषणा व विभाजन करवाने हेतु अधिकृत नहीं है। परंतु जब सहदायिकी संपत्ति का सहदायकों के मध्य विभाजन हो रहा हो तो उस स्थिति में पति के समान हिस्सा पत्नी को दिये जाने के प्रावधान है। इस आधार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 02 चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल का भी हिस्सा सहदायकों के समान घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

21. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी आराजी है। प्रकरण के तथ्यों व गवाहों की जिरह तथा प्रतिवादी के स्वीकारनामे से भी स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है तथा वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के मध्य मुतनाजा आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार घेवरलाल द्वारा अपनी माता इमरती देवी के पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों को समान रूप से हक प्रदान करने वाला माना जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य से अपने दावे को साबित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। परंतु प्रतिवादी अपने पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपना प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण अनुतोष संख्या 01 व 02 को साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

22. अब प्रकरण में तृतीय अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तृतीय अनुतोष निम्न प्रकार हैं:–

2. *आया वादी उपरोक्तानुसार बाद घोषणा व बंटवाडा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने का अधिकारी है।*

*..................................वादीगण*

23. प्रकरण में तृतीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:–

***188. Injunction against wrongful ejectment—***
*(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
*(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
*(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
*(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

*(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
*(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

| परिस्थिति | विवरण |
|---|---|
| 1. | जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो। |
| 2. | जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो। |
| 3. | जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी। |
| 4. | जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो। |

24. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर विधिक विभाजन करवाने के पश्चात कब्जे स्पष्ट है। इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। परंतु बिना विभाजन संयुक्त आराजी पर सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसंगत नहीं है। क्योंकि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। इस स्थिति में बिना विभाजन करवाए किसी एक विशेष सहखातेदार का किसी एक विशेष भू–भाग पर कब्जा नहीं माना जा सकता है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का बिना विधिक विभाजन करवाए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

25. निष्कर्षतः इस प्रकार घेवरलाल को किसी एक विशेष सहखातेदार / सहदायिक के पक्ष में ही हक त्याग करने का विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार घेवरलाल द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

अपनी माता इमरती देवी के पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि द्वारा अनुमत नहीं है। इस प्रकार न्यायालय अपने विनम्र मत में घेवरलाल द्वारा अपने अपनी माता इमरती देवी के पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों को समान रूप से हक प्रदान करने वाला माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

**वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 890/17/0.1376 है0 मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का पीपराली व खसरा संख्या 227/6/0.3237 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्तानुसार घोषित हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता हैं।**

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 30.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

**न्यायालय**

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 157 दर्ज तिथिः– 06.05.2024

1. निर्मला पुत्री घेवरलाल
   नाबालिक वलिये संरक्षक माता चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल जाति सोनी निवासी रामजी का गोल फांटा
2. चन्द्रादेवी पत्नी घेवरलाल
   जाति सोनी निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

............................वादीगण

बनाम

1. घेवरलाल पुत्र तुलसाराम
2. इमरती देवी पत्नी तुलसाराम
3. पन्नालाल पुत्र तुलसाराम
4. चिमनाराम पुत्र तुलसाराम
5. गणेशकुमार पुत्र तुलसाराम
   जातियान सोनी निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी
6. अम्मेदाराम पुत्र चौथाराम जाति सोनी
7. खेताराम पुत्र सिमरथाराम
8. रायचन्दराम पुत्र सिमरथाराम
9. रावताराम पुत्र सिमरथाराम
   जातियान जाट निवासी रामजी का गोल फांटा, तहसील गुड़ामालानी
10. धमूराम पुत्र बस्ताराम जाति दर्जी निवासी आईजीनगर तहसील गुड़ामालानी
11. धर्माराम पुत्र भेराराम जाति विश्नोई निवासी झाकरड़ा तहसील धोरीमना
12. नेनाराम पुत्र भीयाराम
13. मलाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
14. हमीराराम पुत्र उर्जाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

.......... असल प्रतिवादीगण

15. उपपंजीयक तहसीलदार गुड़ामालानी।

...................तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्मला बनाम घेवरलाल
2024/157
निर्णय दिनांकः 30.03.2026
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

**—:पर्चा डिक्रीः—**

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 890/17/0.1376 है0 मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का पीपराली व खसरा संख्या 227/6/0.3237 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक को बराबर—बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्तानुसार घोषित हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता हैं।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को प्रेषित की जावें। तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सहायक कलक्टर (अधिकारी) गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested